ज़ायद बही नं०2 4 156

जिल्द—बाबत महकमा सब-रजिस्ट्रार

कीमत अशटाम्प नोट:—यह खाना इस किसम के नोटों के लिये भी इस्तेमाल हो सकते हैं जो मामूली किताब नं० 4 के खाना कैफियत में लिखे जाते हैं	नम्बर शुमार अन्दराज मुआमले केमालीयत और नोईयत और कीमत रजिस्ट्री व दीगर रसूम और तावान वसूल शुदा
अस्टाम्प मूल्य [illegible] लिया [illegible] रुपये 4751	R. 10118 R.F. - 50.00 C.F. - 2.00 Total 52.00

New Art Press JUC. 2074 Reg.

Government Judicial Paper

[illegible]तनामा

[illegible] जौजा शिवराम उमर 80 साल जाति
[illegible]रगना फतेहपुर व उप तहसील श्री नैनादेवी
[illegible] हिमाचल प्रदेश की हूँ।
[illegible]ी वृद्ध हो गई हूँ और किसी काम के काबिल
[illegible]ा की जरूरत है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं
[illegible] परगना फतेहपुर में अराजी व मकानात व
[illegible]तेहपुर में अराजी की मालिक व काबज हूँ।
[illegible]की भी मालिक व काबज हूँ। जुमला जायदाद
[illegible] हर किसम मुजहरा खुद पैदा करदी है। मुजहरा
[illegible] तीन पुत्रियां राजदेई, बन्तीदेवी, ओमादेवी
[illegible]ा व तीनों पुत्रियों की शादियां कर दी हुई हैं
[illegible] अपने-अपने घर आबाद हैं। मुजहरा
[illegible] व रुपैया दिया है। और वे मेरी कोई सेवा
[illegible] का पुत्र जयसिंह भी काफी अरसा से
[illegible] नहीं करता है। मुजहरा की सेवा-टहल
[illegible] पत्नी शीला देवी व वाबा मुजहरा का
[illegible] करते हैं। मुजहरा साहब जाईदाद है।
[illegible] के फौत होने के बाद जाईदाद मुकदमा
[illegible] है। इसलिए मुजहरा अपनी पुत्र वधू शीला
[illegible]मार की सेवा का ध्यान रखते हुए इस तहरीर
[illegible] मनकूला व गैरमनकूला हर किसम की
[illegible] हकदार करती हूँ और लिख देती हूँ कि
[illegible] मुजहरा अपनी जुमला अपनी जायदाद
[illegible]ा हर किसम की मालिक व काबिज
[illegible] मुजहरा मेरी अराजी वाक्या मौजा
[illegible] परगना फतेहपुर उप तहसील श्री नैनादेवी
[illegible]कूला - गैर मनकूला के की मालिक शीला
[illegible] जयसिंह व विनोद कुमार पुत्र जयसिंह बराबर
भागों बाराबर पे मालकान व काबजान हमवार
होंगे

— 2 —

№ 785170 1989 Himachal Government Judicial Paper

वसीयतनामा

वसीयत नामा जुजनम।

मैं कि रामकू जौजा शिवराम उमर 80 साल जाति राजपूत साकन रौड़ा परगना फतेहपुर व उप तहसील श्री नैनादेवी जी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की हूँ।

चूंकी अब मैं काफी वृद्ध हो गई हूं और किसी काम के काबिल नहीं हूँ। इस बुढ़ापा में सेवा की जरुरत है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मुजहरा ग्राम रौड़ा परगना फतेहपुर में अराजी व मकानात व ग्राम दगड़ाहन परगना फतेहपुर में अराजी की मालिक व काबज है और जाईदाद मनकूला की भी मालिक व काबज है। जुमला जाइदाद मनकूला व गैरमनकूला हर किसम मुजहरा खुद पैदा करदी है। मुजहरा के एक पुत्र जयासिंह व तीन पुत्रियां राजदेई, बन्तीदेवी, ओमादेवी है। मुजहरा ने अपने पुत्र व तीनों पुत्रियों की शादियां कर दी हुई है। मुजहरा की तीनों पुत्रियां अपने-अपने घर आबाद है। मुजहरा ने उनको काफी दहेज व रुपैया दिया है। और वे मेरी कोई सेवा नहीं करती है। मुजहरा का पुत्र जयासिंह भी काफी अरसा से मुजहरा की देख रेख नहीं करता है। मुजहरा की सेवा-टहल अब मुजहरा के पुत्र की पत्नी शीला देवी व पोता मुजहरा का पौत्रा विनोद कुमार ही करते हैं। मुजहरा साहब जाईदाद है। अक्सर साहब जायदादों के फौत होने के बाद जाईदाद मुकदमा बाजी में बरबाद हो जाती है। इसलिए मुजहरा अपनी पुत्र वधू शीला देवी व पौत्रे विनोद कुमार की सेवा का ध्यान रखते हुए इस तहरीर की अपनी जुमला जाईदाद मनकूला व गैरमनकूला हर किसम की वसीयत इस तरह करके हकदार करती हूं और लिख देती हूँ कि जब तक मुजहरा हयात है मुजहरा अपनी जुमला अपनी जाईदाद मनकूला व गैरमनकूला हर किसम की मालिक व काबिज रहेगी। बाद व फौत मुजहरा मेरी अराजी वाक्या रौड़ा तथा मौजा दगड़ाहन परगना फतेहपुर उप तहसील श्री नैनादेवी व मेरी जाईदाद मनकूला-गैरमनकूला के की मालिक शीला देवी जानी जयासिंह व विनोद कुमार पुत्र जयासिंह बराबर मसावी बाराबर व मालकान व काबजान हसबर होंगे

— 2 —

Nº 785171 1989 Himachal Government Judicial Paper

<u>वसीयत नामा जुज नं० 2</u>

इस तैहरीर के मुकाबला में और कोई भी तैहरीर जिसको मुजहरा गलत समझती हो रद्द समझा जावे। इस लिए वाया मुजहरा ने लेखक को कहकर इन उपरालिखित अराजी, मनकूला व गैर मनकूला का शीला देवी पत्नी जयसिंह तथा बिनोद कुमार पुत्र जयसिंह के नाम वसीयत नामा तैहरीर करवा दिया है यह तैहरीर नामा मुजहरा ने अपनी होश-हवास व बिना किसी भय-डर व अनुचित दबाव के लिखवा दी जिसे लेखक ने वाया मुजहरा को पढ़कर सुनाया व समझाया जिसे वाया मुजहरा ने सही व दरुस्त तसलीम करके रूबरू गवाहान नीचे अपना दाहिना अंगूठा निशान अंकित किया और बर वक्त जरूरत काम आवे। मिति 11-3-1990 मुकाम दगड़ाहन जिला बिलासपुर।

अलबद गवाह शुद

लेख राम
वार्ड मैम्बर
ग्राम टिक्कर
उप तहसील श्री नैनादेवी
जिला। बिलासपुर हि०प्र०

लेखराम

इतिहा

अलबद गवाह शुद

कृष्णू राम सपुत्र
माघू राम ग्राम टी[illegible]
उप तहसील श्री नैना[illegible]
जिला। बिलासपुर

कृष्णूराम

नोट — इस वसीयत नामा हजा में कुल 46 पंक्तियां तथा [illegible] 475 शब्द हैं।

लेखक-
श्यामलाल ठाकुर अधिवक्ता
बिलासपुर हि० प्र०।

S. L. Thakur
Advocate
Distt. Court Bilaspur (H.P.)

11-3-1990

158 3
[illegible] 91 [illegible] 82 [illegible] 275
[illegible] 1990

Sub Registrar Sadar
[illegible]
1/8/90